वित्तीय स्वीकृति

संख्या-47/2015/2245/52-3-15-बजट(27)/15

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव,

उ0प्र0 □□□□

□□□ में,

□□□□□,

अल्पसंख्यक कल्याण,

□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण □□वक्फ □□□□-3, □□□□□ दिनांक 24 सितम्बर, 2015

विषयः-वित्तीय वर्ष 2015-16 में अल्पसंख्यक स□□□□ □□ दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं □□ छात्रवृत्ति वितरण □□□वित्तीय स्वीकृति □□ □□□□ में। (□ □□□□□□□)

□□□□□,

उपर्युक्त विषय □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□कि वित्त (□ □-व्ययक) □□0-1 □□ कार्यालय ज्ञाप □0-2/2015/□□-1-925/10-2015-231/2015, दिनांक 30.3.2015 □□ प्रस्तर-2(12) में दी □□□ व्यवस्था के□ □□□□□ □□□□वित्तीय वर्ष 2015-16 □□ □□ व्यय में अल्पसंख्यक □□□□□ □□ दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं □□ छात्रवृत्ति □□ वितरण □□□ □ □□□□□□ पक्ष में प्राविधान ध□□□□ रू0 60,00,00,000/- (रू0 □□ □□□□ मात्र) निम्नांकित शर्तों □□□प्रतिबन्धों के□ □□□□ व्यय □□□□□□□□ □□□ निवर्तन पर □□□□□□□की श्री राज्यपाल □□□□□ सहर्ष स्वीकृति प्रदान □□□□हैं:-

1- उक्त स्वीकृत □□□□□ □□सापेक्ष पात्र छात्र/छात्राओं के□ छात्रवृत्ति के भुगतान स्वरूप दे□□ □□□□□ □□□□□□ □□माध्यम □□□□□□□□□ बैंक ख□□□में अन्तरित की □□□□□

2- उक्त स्वीकृत □□□□□ □□सापेक्ष व्यय □□□□□ □□विवरण □□□ □□□□□□□ प्रमाण पत्र □□ फरवरी, 2016 की समाप्ति पर □□□□ □□ उपलब्ध □□□□□जायेंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- जिन विद्यालयों/मदरसों □□ विरूद्ध छात्रवृत्ति □□ □□□□ में □□□□□□□□ की □□□□□ □□ □□□□छात्रवृत्ति की □□□□□ की □□□□□□□□□ की प्रबल □□□□□ □□ दृष्टिगत रखते□□□□□ विद्यालयों/मदरसों □□ छात्र/छात्राओं □□ छात्रवृत्ति □□ □□□□□ छात्र/छात्राओं की वास्तविक संख्या □□ पूर्ण सत्यापन □□□□□ ही किया □□□□□ यदि फिर □□ □□□□□ □□ वितरण में किसी प्रकार की □□□□□□□□ प्रकाश में □ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ अधिकारी पूर्ण रूप □□ उत्तरदायी होंगें।

4- □□□□□ □□ □ □□□□ किसी प्रकार □□ व्यय □□□□□□ प्राधिकार नहीं □□□ □□ जिन मामलों में उ0प्र0 □□□ □□□□ □□ वित्तीय नियमसंग्रहों तथा स्थायी आदेशों केअन्तर्गत राज्य □□□□ □□□□ अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की □□□ आवश्यक □□, □□ मामलों में व्यय □□□□□□ पूर्व □□□ स्वीकृति अवश्य प्राप्त □□ □□ □□□□

5- छात्रवृत्ति वितरण □□□□□ में □□□□ द्वारा □□□□-□□□ □□ निर्गत शासनादेशों □□□□□□□□□□ □□प्राविधानों का कड़ाई □□□□□□□□ सुनिश्चित किया □□□□□

6- उक्त स्वीकृत □□□□□ □□सापेक्ष शैक्षिक सत्र 2015-16 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत पात्र अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति □□ ही □□□□□ किया □□□□□

2- उपरोक्त □□ □□□□□□□ व्यय □□□वित्तीय वर्ष 2015-16 □□ □ □ व्ययक □□ □□□□□ संख्या-48 □□अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2225-□□□□□□ जातियों, जनजातियों □□□ अन्य पिछड़े वर्गों □□ कल्याण-□ □□□□□□-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03- अल्पसंख्यकों का कल्याण-0303-अल्पसंख्यक स□□□□ □□ दशमोत्तर कक्षाओं □□ छात्रों/ छात्राओं □□ छात्रवृत्ति-21-छात्रवृत्तियाँ □□ छात्र □□□ □□ नामें □□□□ □□□□□

3- □□□ □ □□ वित्त विभाग □□ कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/□□-1-925/10-2015-231/2015, दिनांक 30.3.2015 में प्रदत्त निर्देशों के □□□□ निर्गत किये □□ □□□ हैं।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश □□)

http://shasanadesh.up.nic.in

□□□□

संख्या-2245(1)/52-3-15-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-□□□□□□□□ (□□□ परीक्षा) प्रथम/द्वितीय □0प्र0, □□□□□□□□

2-□□□□□□□□ (□□□ □□□हकदारी) प्रथम/द्वितीय, □0प्र0, □□□□□□□□

3-मुख्य कोषाधिकारी, वे□□□□□□□, □□□□□

4-कोषाधिकारी, ज□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□□, □0प्र0 □□□□□

5-रजिस्ट्रार, □0प्र0 □□□□□ शिक्षा परिषद, 704, □□□□□ □□□, □□□□□

6-अल्पसंख्यक कल्याण □□□वक्फ □□□□□-1

आज्ञा □,

(□□□ मुहीउद्दीन)

□□□□□□

http://shasanadesh.up.nic.in